

तारीख
हुक्म

न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
करेड़ा (मीलवाड़ा)

उ.क्र. 34/18
वाद

30-7-18
30-7-18

पञ्जावली पेश है। वकील अपील अपील
पत्र रिजर्ज के पञ्जावली लम्बा करने हेतु
पेश किया। अपील पत्र के अंतर्गत सिद्ध
कि वादी एवं प्रतिवादीओं के मध्य
समझौता हो जाने के कारण में
कोई कार्यवाही नहीं यादनी है।

अतः पञ्जावली इसी स्तर पर
स्वारिज की जाती है।
पञ्जावली एवं रिजर्ज के कल भी
जाकर प्रेरण शुभाहरी।
विधि अर इजालाक सु-नाथो उभा

Jed
उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा